

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका संख्या-फ०बी०यो०-27/2004-05

/पटना, दिनांक

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार दास,
संयुक्त निदेशक-सह-
कार्यालय प्रधान।

सेवा में,

श्री सौरभ कुमार दिव्य
S/O रामदेव राम
ग्राम मुर्तिया, P.O+P.S-आदापुर (पूर्वी चम्पारण)

विषय:- फसल कटनी प्रयोग करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- मुख्यमंत्री सचिवालय जनता के दरबार के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में समर्पित आवेदन/परिवाद बाद पत्र संदर्भ संख्या 1302127039 के सम्बन्ध।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि वर्ष 2010-11 के रबी मौसम में राज्य के 5 जिलों यथा-भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं खगड़िया में प्रायोगिक तौर पर एवं 3 जिलों यथा-शिवहर, जमुई एवं मुंगेर में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत गेहूँ फसल पर पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता के द्वारा संपादित कराया गया था। लेकिन कृषि वर्ष 2011-12 के अगहनी मौसम में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत उक्त वर्णित 3 जिलों को छोड़कर शेष किसी भी जिला में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग संपादित नहीं कराया गया था।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त निदेशक-सह-
कार्यालय प्रधान।

ज्ञापांक

458

दिनांक 21.03.2013

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, जन शिकायत, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।
2. श्री राजा राम चौधरी, जन शिकायत पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०प्रबन्धक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.03.2013
संयुक्त निदेशक-सह-
कार्यालय प्रधान।